SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

1000/

In the court of 14/10/22 Magistrate **श्रीमती विकसिता मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह** Case No. of /2022 Complaint or report made on Name and address of the complainant **म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बड़वाह**

Name, parentage, caste and address of accused

आरोपी - महेश s/o गोविन्द जाति बलाई उम्र 49 वर्ष नि. बाबा खेड़ा
हा.मु. रायमलपुरा थाना बड़वाह

The offence complained of, and date of, its alleged commission

तुम्हारे विरूद्ध अभियोग है कि दिनांक 3/9/22 को स्थान सार्वजनिक दुकान रायमलपुरा पर 9:10 AM बजे पुलिस अधिकारी द्वारा चेक करने पर तुम अभियुक्त के आधिपत्य से [illegible] 19 [illegible] जप्त की गयी।

अतः तुम्हारा कृत्य धारा 34 ए आबकारी विधान के तहत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः प्रकट करो कि तुम्हें अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

(श्रीमती विकसिता मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बड़वाह,प.नि.

मुझे अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार है।

(श्रीमती विकसिता मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बड़वाह,प.नि.

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e) clause (f) or clause (g) or Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

Scanned by CamScanner

//निर्णय//

(आज दिनांक 14/10/22 को पारित)

1. आरोपी को धारा 34 ए आबकारी विधान के अपराध का सार विरचित कर पढकर सुनाया समझाया जाने पर आरोपी ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया।

2. आरोपी ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34 ए आबकारी विधान के अपराध में दोषी ठहराया जाकर सिद्धदोष घोषित किया जाता है। आरोपीगण ने प्रकट किया कि यह उसका प्रथम अपराध है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः यह उसका प्रथम अपराध होना पतीत होता है। अतः प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उसे मात्र अर्थदण्ड अधिरोपित करना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः आरोपी को धारा 34 ए आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1200/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है जो अदा नहीं करने पर 12 दिवस का कारावास भुगताया जावे।

3. जप्तशुदा सम्पत्ति एक केन में 12 ली० [illegible] को अपील अवधि पष्चात् अन्य आदेश के अभाव में विधिवत् नष्ट किया जावे।

मेरे द्वारा निर्णय घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया

(श्रीमति विकसिता मरकाम)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
बड़वाह (पश्चिम निमाड़)

मेरे निर्देश पर टंकित

(श्रीमति विकसिता मरकाम)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
बड़वाह (पश्चिम निमाड़)

Scanned by CamScanner